कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर

जिला न्यायालय परिसर

Email-Id :- dlsa2alwar@gmail.com **Phone:- 0144-2940098**

क्रमांकः— 2026/संविदा वाहन चालक/4631 दिनांकः— 25/06/26

—:विज्ञप्तिः—

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र कमांक एफ—7(29)/रालसा—संस्था/नवीन वाहन चालक पद सृजन/2026/453 दिनांक 24.06.2026 के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या प.08(1) विधि—2/विरस (194)/2026—68576 दिनांक 19.06.2026 के अनुकम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर कार्यालय में उपलब्ध राजकीय वाहन (Maruti Suzuki XL6/Urbania) के संचालन हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र एवं संविदा सेवाओं के संबंध में वित विभाग द्वारा समय—समय पर जारी परिपत्रो के दिशा—निर्देशों की पालना में संविदा पर 01 वाहन चालक की सेवाये दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 31.03.2027 तक लिये जाने हेतु राज्य सरकार के विभागो से सेवानिवृत कार्मिको के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः—

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर	वाहन चालक (संविदा पद)	1

शर्तेः—

1. उक्त पदो पर सेवाओ के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमो के निर्देशानुसार देय होगी। कर्मचारीगण का चयन निम्न प्राथमिकता के कम में किया जायेगाः—

- उक्त परिपत्रो के प्रावधानो के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारी।

2. ऐसे सेवानिवृत कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नही हुई है, वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करेगे। उक्त वाहन चालक की सेवाएँ राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशो/निर्देशो/परिपत्रो के अध्यधीन प्रभावी
3. ऐसे सेवानिवृत कार्मिकों, जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया है या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया है, के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
4. कार्मिक को पुनर्नियुक्ति के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्त कार्मिक की सेवा किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किए जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तो पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत्त वाहन चालक दिनांक 30.06.2026 को कार्यालय समय तक इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक हैः—

- विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति
- अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) की प्रति

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अलवर

- पीपीओ की प्रति
- विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण—पत्र (प्रारूप संलग्न है)

सचिव (लिंक अधिकारी)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण)
अलवर (राज0)
दिनांकः— 25/06/26

क्रमांकः— 4632-4642

1 श्रीमान सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2 श्रीमान अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर।
3 श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर।
4 श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर को समस्त विभागों में सूचित करने हेतु।
5 समस्त अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समितियॉं , जिला अलवर को जरिये ई—मेल नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6 सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
7 सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, अलवर को कार्यालय की वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
8 नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर।
9 आदेश संबंधित पत्रावली।

सचिव (लिंक अधिकारी)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
अलवर (राज0)

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर (राज0)

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी के संबंध में पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन–पत्र

1 सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम : ....

2 पिता/पति का नाम : ....

3 जन्म तिथि : ....

4 पूर्ण पता : ....

5 आयु दिनांक (दिनांक 31.03.2026) : ....वर्ष................माह............दिन.....

6 अर्हताएं : ....

7 मूल विभाग का नाम : ....

8 सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद : ....

9 अनुभव : ....

10 सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन : ....
(रनिंग पे बेण्ड़ वेतन + ग्रेड पे/पे–लेवल)

(एलपीसी संलग्न है)

11. मूल पेंशन राशि : ....

(पीपीओ प्रति संलग्न है)

12. धारित पद का वेतनमान : ....

(सेवानिवृत्ति के समय)

13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र : ....

(संलग्नानुसार है)

<u>सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध</u>

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिको के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्ति कर्मचारी
के हस्ताक्षर

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(... जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 01 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती...पुत्र/पत्नी.............................जो सेवानिवृत्ति से पूर्व... ....पद पर इस विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती..की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय, श्री/श्रीमती................................मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बेण्ड वेतन + ग्रेड पे/पे–लेवल).. आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती.................................... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती.................................... के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इसकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही है, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिकों की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील

सचिव
विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला एवं सेशन न्यायाधीश)